REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240712 CG-DL-E-01122022-240712

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5340]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944No. 5340]NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5572(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

ता	लका		

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
626	748ए	कर्नाटक राज्य में हलगा गांव (बेलगाम) के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से
		प्रारंभ होकर इंचला, कटकोला, केरूर, हुंगुंड, मुदगल, सिरवारा, चिकसुगुर को जोड़ने
		वाला और हेगसनहल्ली के निकट रारा-150सी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने
		वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 4743(अ), दिनांकित 06 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

S.O. 5572(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways	
(1)	(2)	(3)	
626	748A	The highway starting from its junction with NH-48 near Halga village (Belgaum) connecting Inchala, Katkola, Kerur, Hungund, Mudgal, Sirvara, Chiksugur and terminating at its junction with NH-150C near Hegsanhalli village in the State of Karnataka.	

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 4743(E), dated 6th October, 2022.

[F. No. NH-14012/15/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director